दिनांक 12.06.2013 को सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में डॉ० भीम राव अम्बेदकर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, औरंगाबाद के निर्माण एवं हस्तानान्तरण के सम्बंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग;
2. उपाध्यक्ष, (स्ट्रैटजी) श्री सिमेन्ट लिमिटेड;
3. श्री सिमेन्ट लिमिटेड के अन्य प्रतिनिधि (श्री भरत शर्मा);
4. अपर समाहर्ता, औरंगाबाद;
5. उप निदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया;
6. जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद।

2– सचिव द्वारा आज की बैठक में सभी का स्वागत किया गया साथ ही बताया गया कि डॉ० भीम राव अम्बेदकर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, औरंगाबाद के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अंचल–औरंगाबाद मौजा–कुशी, थाना नं0–553, खाता नं0–133, खेसरा नं0–1721, रकवा–4.35 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि विभाग को हस्तान्तरित की गई है। जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्त्तों के साथ स्वीकृति दी गई है:–

1. नये विद्यालय का निर्माण श्रीसिमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने खर्च पर किया जायेगा।
2. निर्माण के प्रस्तावित स्थल के भूमि समतलीकरण, सम्पर्क पथ एवं नदी की ओर बिल्डिंग पिचिंग का कार्य मेसर्स श्रीसिमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा भवन निर्माण विभाग द्वारा मानक स्तर का किया जायेगा।
3. विद्यालय के निर्मित भवन के वर्तमान मूल्य के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्राप्त की जायेगी।
4. विद्यालय के नये भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक स्तर पर किया जायेगा एवं 18 माह में पूर्ण न किये जाने पर पेनाल्टी का शर्त्त रखा जायेगा।
5. विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

3– उपाध्यक्ष (स्ट्रैटजी), श्रीसिमेंट लिमिटेड के द्वारा सरकार के शर्त्तों के अनुरूप ही कार्य कराये जाने पर सहमति दी गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आवासीय विद्यालय के लिये भूमि समतलीकरण, पहुंच पथ और बोल्डर पिचिंग के कार्यों को श्रीसिमेंट लिमिटेड के द्वारा कराया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि भवन निर्माण विभाग से आवासीय विद्यालय में कराये गये क्षेत्र (Plinth Area) में कराये गये वास्तविक कार्य का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) एवं Quantity का प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाय ताकि प्राक्कलन एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप निर्धारित अवधि के अंदर कार्य कराया जा सके।

4— आज की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

(1) जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद, श्रीसिमेंट के प्रतिनिधि एवं जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ शीघ्र बैठक निर्धारित की जाये। साथ ही कराये गये कार्य के Quantity और Detailed Project Report के साथ—साथ नक्शा श्रीसिमेंट को उपलब्ध कराई जाय

(2) जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद पूर्व में निर्मित भवन को हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) आवासीय विद्यालय का निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे एकीकृत उपागम (Integrated approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) के अनुसार कराये गये Quantity के अनुरूप कार्य कराया जा सके।

(4) श्री सिमेंट लिमिटेड के द्वारा कराये गये कार्यो का गुणवत्ता, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण विभाग तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा चयनित कन्सल्टेंट के माध्यम से कराया जायेगा।

सचिव महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह०/—
(एस० एम० राजू)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—1/आ0वि0 (निर्माण/मरम्मति)—03—02/2006 1370 पटना, दिनांक 17/6/2013

प्रतिलिपिः—जिला पदा0 औरंगाबाद/अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद/उप—निदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया/जिला कल्याण पदा0, औरंगाबाद/श्री श्रीनाथ सभुर, उपाध्यक्ष (स्ट्रेटीजी), मेसर्स श्री सिमेंट लिमिटेड, जी—19, हंस भवन, बी0 एस0 जफर मार्ग, नई दिल्ली—110002 को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/6/13
सरकार के अवर सचिव